वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 178/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-19.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 19.05.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना-फूलपुर:-जानलेवा हमला करने वाला 01 आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास:-

दिनांक 19.05.2025 को वादी प्रमोद कुमार मिश्र पुत्र स्व0 लल्लन मिश्र ग्राम धन्नीपुर बिसराई थाना फूलपुर आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 18.05.2025 को समय करीब 8.45 बजे सुबह पुरानी रंजिश को लेकर वादी के पडोसी अश्विनी मिश्र पुत्र राकेश मिश्रा व सरिता मिश्रा पत्नी राकेश मिश्र व प्रमोद पुत्र रामकुमार निवासीगण धन्नीपुर विसराई थाना फूलपुर आजमगढ़ द्वारा गाली गुप्ता दिया जाना तथा मना करने पर मारने पीटने के लिए दौडा लेना प्रार्थी द्वारा घर में भागने पर अभियुक्तों द्वारा घर में घुसकर बास व कुल्हाडी के फल से जान से मारने की नियत से हमला कर देना जिससे आवेदक के पूरे शरीर में व आवेदक की पत्नी विनीता मिश्रा को सर में काफी चोटें आयी तथा अभियुक्तों द्वारा जान माल की धमकी देकर मौके से भाग जाने के सम्बन्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-253/2025 धारा 109/115(2)/351(2)/352 /333/131 बीएनएस बनाम

1. अश्विवनी मिश्रा पुत्र राकेश मिश्रा, निवासी धन्नीपुर विसराई, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ

2. सरिता मिश्रा पत्नी राकेश मिश्रा, निवासी धन्नीपुर विसराई, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ

3. प्रमोद पुत्र रामकुमार, निवासी धन्नीपुर विसराई, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ के विरुद्ध पंजीकृत है किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

आज दिनांक 19.05.2025 को **उ0नि0 वासुदेव मिश्र मय हमाराह** द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **अश्विवनी मिश्रा पुत्र राकेश मिश्रा, निवासी धन्नीपुर विसराई, थाना फूलपुर, जिला आजमगढ, उम्र 22 वर्ष** को **समय करीब 01.35 बजे** गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. अश्विवनी मिश्रा पुत्र राकेश मिश्रा, निवासी धन्नीपुर विसराई, थाना फूलपुर, जिला आजमगढ, उम्र 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

01. आला कत्ल एक अदद टांगी

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0-253/2025 धारा 109/115(2)/351(2)/352/333/131 बीएनएस थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 253/25 धारा109/115(2)/351(2)/352/333/131 बीएनएस, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0264/21धारा323/504/506/308 भादवि0 व 3(2)5क/ एसटी/एससी एक्ट, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

02.थाना-मेंहनाजपुर:-दहेज हत्या में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक 08.05.2025 को आवेदिका इन्दु देवी पत्नी विरेन्द्र ग्राम खुशनामपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दिया कि प्रार्थिनी की पुत्री व गूड्डू पुत्र नन्दू ग्राम- पिअरी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा विगत एक वर्ष पूर्व कोर्ट मैरेज शादी की गयी थी, शादी के उपरान्त प्रार्थिनी की पुत्री अपने पति गूड्डू के साथ ग्राम पिअरी में रह रही थी, लेकिन शादी के बाद से ही गूड्डू व इनके पिता नन्दू पुत्र दशवत दहेज के लिये वादिनी की पुत्री को प्रताडित करते रहते थे। दहेज के लिये ही गूड्डू पुत्र नन्दू व नन्दू पुत्र दशवत निवासीगण ग्राम- पिअरी थाना मेहनाजपुर आजमगढ़ द्वारा दिनांक 07.05-2025 को समय करीब 05.00 बजे सायं को साजिश करके वादिनी की पुत्री को जहर दे दिये जिस कारण प्रार्थिनी की पुत्री की मृत्यु हो गयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 49/2025 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम

1. गूड्डू पुत्र नन्दू, निवासी पियरी कोसडा, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ

2. नन्दू पुत्र दशवत, निवासी पियरी कोसडा, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 19.05.2025 को **व0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह** द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **नन्दू राम पुत्र दशवत निवासी पियरी कोसड़ थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 52 वर्ष** को जियापुर पुल के पास से **समय करीब 08.30 बजे** गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0स0 49/2025 धारा -85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ

अपराधिक इतिहास:-

01. मु0अ0स0 49/2025 धारा -85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त:-

01. नन्दू पुत्र दशवत, निवासी पियरी कोसडा, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ।

03.चोरी की घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्त चोरी के ई-रिक्शा के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहासः-

वादी बाबूलाल पुत्र रामजीत निवासी ग्राम हरैया थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 09.05.2025 को समय 11.00 बजे के करीब मै अपना ई-रिक्शा जिसका रजि0 नं0 UP50CT5408 लाल रंग गेट 07 के पास खड़ा करके आवश्यक कार्य हेतु न्यायालय के अन्दर गया था लौटने पर देखा कि किसी अज्ञात चोर द्वारा मेरा ई रिक्शा चोरी कर लिया गया है, काफी दिन खोजबीन करने के बाद भी मेरा ई रिक्शा नहीं मिला ,जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 228/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

दिनांक 18.05.2025 को उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी चौकी प्रभारी रोडवेज मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी गये ई रिक्शा के साथ चार नफर अभियुक्त
1. हरिशंकर राय उर्फ दीनू राय पुत्र स्व0 रामसूरत राय, निवासी ग्राम ओरा, थाना कप्तानगंज, आजमगढ़, उम्र 52 वर्ष
2. अकमर पुत्र अकबाल, निवासी बिसौली, थाना कंधरापुर, जनपद आजमगढ़, उम्र 28 वर्ष
3. करीम पुत्र मारूल, निवासी बिसौली, थाना कंधरापुर, जनपद आजमगढ़, उम्र 24 वर्ष
4. राहुल यादव पुत्र अमेरीका यादव, निवासी भीतरी, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र 28 वर्ष को **समय करीब 20.45 बजे आरटीओ से आगे बाईपास से किशुनदासपुर जाने वाले मार्ग** से गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्तों का विवरणः-

1. हरिशंकर राय उर्फ दीनू राय पुत्र स्व0 रामसूरत राय, निवासी ग्राम ओरा, थाना कप्तानगंज, आजमगढ़, उम्र 52 वर्ष
2. अकमर पुत्र अकबाल, निवासी बिसौली, थाना कंधरापुर, जनपद आजमगढ़, उम्र 28 वर्ष
3. करीम पुत्र मारूल, निवासी बिसौली, थाना कंधरापुर, जनपद आजमगढ़, उम्र 24 वर्ष
4. राहुल यादव पुत्र अमेरीका यादव, निवासी भीतरी, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र 28 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

01. ई रिक्शा रजि0न0 UP50CT5408 (वादी मुकदमा का)
02. ई रिक्शा रजि0न0 UP50ET6038(अभियुक्त का) = कुल दो अदद ई रिक्शा बरामद

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0- 228/25 धारा- 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

01. उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी चौकी प्रभारी रोडवेज, थाना कोतवाली आजमगढ़
02. उ0नि0 यश सिंह पटेल, थाना कोतवाली आजमगढ़
03. हे0कां0 सर्वेश विक्रम, थाना कोतवाली आजमगढ़
04. कां0 बसन्तलाल, थाना कोतवाली आजमगढ़
05. कां0 हीरालाल, थाना कोतवाली आजमगढ़
06. कां0 संदीप विश्वकर्मा, थाना कोतवाली आजमगढ़
07. कां0 काशी कुमार थाना कोतवाली आजमगढ़

<u>*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 19.05.2025, जनपद आजमगढ़*</u>

"ऑपरेशन कनविक्शन"अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध शस्त्र रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए 07 माह के साधारण कारवास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना सरायमीर में पंजीकृत अपराध जिसमें ***अवैध शस्त्र*** रखने के आरोपी ***अभियुक्त को 07 माह के साधारण कारवास व 1000/- रुपये से दण्डित*** किया गया।

➡ दिनांक- 05.11.2024 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 05.11.2024 को विपक्षी ***आनन्द मौर्या पुत्र अशोक मौर्या निवासी ठठेरी बाजार कस्बा व थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़*** के कब्जे से ***एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर*** बरामद होना।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध ***थाना सरायमीर*** पर ***<u>मु0अ0सं0- 594/2024 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट</u>*** पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 19.05.2025 को मा0 न्यायालय कोर्ट नं0-19 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विपक्षी आनन्द मौर्या पुत्र अशोक मौर्या निवासी ठठेरी बाजार कस्बा व थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 07 माह के साधारण कारवास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>*#Azamgarh: 25वीं प्री यूपी स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता 2025 के 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्टेट स्तर पर #2nd_रैंक (सिल्वर मेडल) प्राप्त करने वाले एसपी सिटी स्टेनों व महिला आरक्षी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 05-05 हजार रूपयें के नकद पुरस्कार से किया सम्मानित।*</u>

यू0पी0 स्टेट राइफल एसोसिएशन लखनऊ द्वारा आयोजित 25वीं प्री यूपी स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता 2025 जनपद प्रयागराज में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया, जिसमें *<u>**संजीव पाण्डेय, स्टेनो**</u> (एसपी सिटी आजमगढ़)* द्वारा उ0प्र0 (पुलिस सेवाएं) में *<u>**2nd रैंक (सिल्वर मेंडल)**</u>* प्राप्त किया गया तथा *<u>**10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता (महिला)**</u> में <u>**महिला आरक्षी शिरीना बानों**</u>* द्वारा उ0प्र0 (पुलिस सेवाएं) में स्टेट स्तर पर *<u>**2nd रैंक (सिल्वर मेंडल)**</u>* प्राप्त किया गया, जिसके क्रम में आज दिनांक 19.05.2025 को *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना* द्वारा उक्त स्टेनों व महिला आरक्षी को *05-05 हजार रूपयें का नकद पुरस्कार से सम्मानित* करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने रंगदारी मागने के मामले में वांछित/फरार 01 अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 25 हजार रूपये का नगद पुरस्कार किया घोषित

➡ दिनांक- 27.3.25 को वादिनी मुकदमा/पीडिता थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी कि ग्राम उकरौड़ा के भकौले सिंह, प्रदीप सिंह ,अजीत सिंहं पुत्रगण भगवान सिंह बहुत मनबढ गुण्डा किस्म के व्यक्ति है वे लोग प्रार्थी से पच्चास हजार रूपया रंगदारी मांगते है प्रार्थिनी के जवान लड़कियो को उठा ले जाने की जबरजस्ती करते है आज बीती रात को करीब 12 बजे रात मे भकौले सिंह व अपने भाइयो ने कट्टा लेकर प्रार्थिनी के घर पर आये और जबरजस्ती दरवाजा खोलवाकर मुझे तमंचा लगाकर रंगदारी के पच्चास हजार रूपये मांगने लगे मेरे बच्चो के द्वारा शोर मचाने पर अगल बगल के लोगो के आवाज सुनकर गंदी गंदी गालीया देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये, जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 155/2025 धारा 308(5),352,351(3),333 बीएनएस पंजीकृत हुआ था।

➡दौराने विवेचना अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय से गैरजमान्ती वारण्ट दि. 03.04.25 को, दिनांक 11.4.25 को 84 BNSS उद्घोषणा प्राप्त कर नियमानुसार तामिल कराया गया। मा0 न्यायालय से जारी धारा 84BNSS की आदेशिका/उदघोषणा को तामिल कराया गया।

➡ दिनांक- 19.05.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 – 155/25 से सम्बन्धित वांछित/फरार एक अभियुक्त सुजीत सिंह उर्फ भकोले पुत्र भगवान सिंह निवासी उकरौड़ा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 43 वर्ष की गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से अभियुक्त पर 25 हजार रूपये का नकद पुरस्कार घोषित किया गया।